राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2530/2024

रमाकान्त शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, दौसा।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मलारना, लवाण, जिला दौसा।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.08.2024
आदेश की दिनांक : 14.08.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर प्रयोगशाला सहायक के पद पर जनवरी 1992 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 25.01.1992 को कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित थी, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की सेवाओं की गणना दिनांक 25.01.1992 से नहीं करते हुए ग्रीष्मावकाश के पश्चात् दिनांक 01.07.1992 से करते हुए आदेश दिनांक 12.08.2002 के द्वारा दिनांक 01.07.2002 से 10 वर्षीय चयनित वेतनमान दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 27.12.2010 के द्वारा दिनांक 01.07.2010 से दिया गया तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 02.01.2023 के द्वारा दिनांक 01.07.2019 से दिया गया। जबकि अपीलार्थी उक्त चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.01.1992 से सेवाओं की गणना करते हुए प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अपीलार्थी दिनांक 15.05.1992 से 30.06.1992 तक की अवधि का ग्रीष्मावकाश का वेतन भी प्राप्त

करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थीगण को अनेक बार निवेदन करने के बावजूद आज तक उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को दिनांक 15.05.1992 से 30.06.1992 तक का ग्रीष्मावकाश का नियमित नियुक्ति होने के बावजूद अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक का वेतन नहीं दिया गया है। जबकि अपीलार्थी ने उक्त अवधि में प्रत्यर्थीगण से अवकाश नहीं लिया। परन्तु राजकीय अवकाश होने के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति होने के बावजूद अपीलार्थी की सेवाओं की गणना दिनांक 25.01.1992 से नहीं करते हुए ग्रीष्मावकाश के पश्चात् 01.07.1992 से करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि व चयनित वेतनमान का लाभ देने के आदेश आलौच्य आदेश के द्वारा दिये गये है तथा उक्तानुसार ही पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में फिक्सेशन करने के आदेश जारी किये है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 25.01.1992 से हुई थी, परंतु उसकी सेवाओं की गणना दिनांक 01.07.1992 से की जा रही है, जो सत्र के प्रारम्भ होने की दिनांक से गिनी जा रही है। अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 25.01.1992 से सेवाओं की गणना कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 पारित कर याची की सेवाओं की गणना नियमित नियुक्ति की दिनांक से किये जाने के निर्देश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11147/2020 में उक्त न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय को दृष्टितगत रखते अभ्यावेदन निर्णित करने के निर्देश दिये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी भी अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायायल के उक्त निर्देशानुसार मामले का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किये जाने के निर्देश दिये जायें। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> ''क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.01.1992 से करते हुए जुलाई 1992 से वार्षिक वेतनवृद्धि व आगामी समस्त वेतनवृद्धियां तथा 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान व 5वें, 6वें, 7वें पुनरीक्षित वेतनमान में फिक्सेशन कर बकाया एरियर राशि मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज, ग्रीष्मावकाश वर्ष 1992 का

प्रयोगशाला सहायक का वेतन सहित अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें तथा उक्त फिक्सेशन करने के पश्चात् फिक्सेशन अनुसार अपीलार्थी सम्पूर्ण परिलाभों का मय एरियर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से दिलाया जावें।

(ग) खर्चा अपील दिलाया जावे।

(घ) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।''

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)